न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 64 / 2021

फिनोवा कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 702, सेवेन्थ फ्लोर, यूनिक एस्पायर, प्लॉट नंबर 13–14, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर –302021

...... प्रार्थी

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा, पता–सीसवाली रोड, लुहारों का मौहल्ला, डीडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 303511(ऋणी व बंधककर्ता)
2. बनवारी लाल पंडा पुत्र श्री ब्रजमोहन पंडा, पता–सीसवाली रोड, लुहारों का मौहल्ला, डीडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 303511(सह ऋणी व बंधककर्ता)
3. शशिकान्त शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा, पता–सीसवाली रोड, लुहारों का मौहल्ला, डीडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 303511(सह ऋणी)
4. पूनम शर्मा पत्नि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, पता–सीसवाली रोड, लुहारों का मौहल्ला, डीडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 303511(सह ऋणी)
5. नितिन कुमार जांगिड पुत्र श्री मुकेश कुमार जांगिड पता– मुख्य बाजार, गांव डीडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा–303511(गारंटर)

.... अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थित : श्री सांवर सिंह कसाना, अधिवक्ता प्रार्थी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांकः 14.12.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण व अन्य को 23,85,160/–(रूपये तेईस लाख पिच्यासी हजार एक सौ साठ मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा की संपत्ति जो कि आबादी भूमि वार्ड नं0 11, बस स्टेण्ड के पास, ग्राम डीडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षेत्रफल 400 वर्गगज है जो कि थाना लालसोट के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14 दिसंबर 2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा